कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमांकः–शिविरा/माध्य/सतर्कता/तालाबन्दी/ दिनांक– 28.8.2019

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं
ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी,
समग्र शिक्षा अभियान

विषयः– विद्यालयों में तलाबन्दी रोकने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि कतिपय विद्यालयों में तालाबन्दी की जानकारी विभाग को अधीनस्थ कार्यालयों और समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है। तालाबन्दी किये जाने के प्रमुख कारणों में विद्यालय क्रमोन्नति, संकाय परिवर्तन, नवीन विषय खोलना और विद्यालय में शिक्षक/शिक्षकों के रिक्त पद भरने संबंधी मांग होना पाया गया।

विभाग द्वारा सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा विषय शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सार्थक प्रयास किये गये हैं। इसी प्रकार राज्य के उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप गत कुछ समय में आवश्यकता एवं मांग के अनुसार राज्य सरकार की तय नीति के अनुरूप विद्यालयों की क्रमोन्नति एवं संकाय खोले जाने की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। संकाय/विषय परिवर्तन की स्वीकृतियां भी विद्यालय व क्षेत्र की मांग के अनुसार एवं आवश्यकता के आधार पर दी गई है, किन्तु राज्य के बड़े आकार एवं समस्त लोगों की अपेक्षा के अनुरूप मांगों की पूर्ति राज्य के उपलब्ध साधनों की सीमा में ही की जानी संभव है। यह भी कि ऐसे कार्यों का अनुमोदन और समक्ष स्वीकृति प्राप्त करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसे पूरा होने में प्रक्रियागत समय लगना स्वाभाविक है।

समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों और फोटो के अनुसार तालाबन्दी हेतु विद्यार्थियों को उकसाया जा रहा है। यह भी कि तालाबन्दी की स्थिति कुछ विद्यालयों में प्रदर्शनकारियों द्वारा विद्यालय स्टाफ को विद्यालय में प्रवेश से जबरन रोका जाता है। विद्यालयों में तालाबन्दी या शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाना कतई स्वीकार्य नहीं है। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है किः–

1. तालाबन्दी वाले विद्यालय के संस्था प्रधान से तत्काल पूरी जानकारी लेवें तथा तालाबन्दी खुलवाने के सार्थक प्रयास करें।
2. तालाबन्दी एवं धरना–प्रदर्शन में विद्यार्थियों को उकसाकर उनका उपयोग करने की स्थितियों को हर हाल में रोका जाये।
3. विद्यार्थियों को उकसाने और विद्यालय स्टाफ को विद्यालय में जाने से रोककर शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई जाये।
4. अनुशासनहीनता करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय से निलम्बित/निष्काषित/टी.सी. देने की कार्यवाही संस्था प्रधान द्वारा की जाये।

5. तालाबन्दी/धरना–प्रदर्शन में यदि विद्यालय के स्टाफ की संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही के पूर्ण प्रस्ताव स्पष्ट अभिशंषा के साथ सक्षम अधिकारी को प्रेषित किये जायें।
6. रिक्त पदों की स्थिति में ब्लॉक के भीतर ही निकटतम विद्यालय से विषय शिक्षक को 15–15 दिवस हेतु शिक्षण व्यवस्थार्थ लगाया जाये ताकि पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जा सके।

उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए आप इसी अनुरूप अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों को आदेशित करते हुए पालना सुनिश्चित करावें।

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को प्रेषित कर लेख है कि कुछ विद्यालयों में अत्यधिक दूरी/अन्य ब्लॉक से शिक्षण व्यवस्था की गई है। बिना उपयुक्त कारण दूरस्थ स्थानों पर की गई शिक्षण व्यवस्था के आदेश तुरन्त निरस्त करें और उसी ब्लॉक के निकटतम विद्यालय से शिक्षकों को 15–15 दिन हेतु शिक्षण व्यवस्थार्थ लगाने हेतु अपने स्तर से अधीनस्थ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करें। इसके बावजूद निर्देशों की अवहेलना करने वाले मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव अपनी अभिशंषा के साथ प्रस्तुत करें।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर